न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/32/2024	10.06.2024	29.07.2024

1–नन्द किशोर पुत्र स्व0 चुन्नीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम मसवासी उर्फ माधोपुरी तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1–महावीर पुत्र खेमचन्द,
2–रामहेर पुत्र खेमचन्द जाति जाट निवासीयान ग्राम मसवासी उर्फ माधोपुरी तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
3– तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री संजय यादव –वकील प्रार्थी

02. श्री समीर चौधरी –वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली नन्दकिशोर बनाम महावीर को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रार्थी के द्वारा एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के यहा बउनवान नन्दकिशोर बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। वाद के साथ पृथक से प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया है। उक्त प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 12.08.2022 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपनी राजनेतिक पहुच का इस्तेमाल करते हुये हाल उपखण्ड अधिकारी से साज–बाज होकर उक्त वाद में प्रार्थी को नुकसान पहुंचाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो अक्सर उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में बेंठे रहते है, तथा गांव में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मौखिक रूप से कहते है, कि हमने उपखण्ड अधिकारी से अपनी पहुंच बना रखी है, और उन्होने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है, कि शीघ्र ही इस प्रकरण को खारिज कर कर दिया जावेगा। उनवानी प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम में स्थित है। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा सदैव से जारी रास्ते को बन्द कर रास्ता बाधित करना चाहते है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के यहा दायर

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा (राज.)

किया हुआ है। वाद में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 हाल उपखण्ड अधिकारी से साज–बाज होकर उक्त वाद को खारिज करवाकर प्रार्थी को नुकसान पहुचाना चाहते है, और प्रार्थी के आवागमन के रास्ते में बाधा कर निर्माण आदि कर प्रार्थी को नुकसान पहुचाना चाहते है। जबकि प्रार्थी/वादी नक्शा ट्रेश दुरूस्त करवाकर जो रास्ता कायम है, उसे कायम करवाना चाहता है, जिसके बाबत वाद न्यायालय में दायर किया गया है। दिनाक 28.05.2024 को प्रार्थी अपने प्रकरण में पैरवी करने गया तो हाल पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी/वादी से कहा कि मैं उक्त प्रकरण को आज ही सुनकर निस्तारण करूगां जिस पर प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता से बहस करने के लिये कहा तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने एक माह का अवसर मांगा और आगामी तारीख पैशी मुर्कर करने के लिये कहा जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने दबाव देते हुये मुझ प्रार्थी व मेरे अधिवक्ता को दिनांक 13.06.2024 को आवश्यक रूप से सुनवाई करने का समय दिया ओर कहा कि यदि दिनांक 13.06.2024 बहस नही की तो प्रकरण को स्वतः ही खारिज कर दूगां। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर सभी कायदे ताक पर रखकर जल्दबाजी में उक्त प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू है, जबकि प्रकरण दुरूस्ती का मोहताज है। तहत अदालत में अप्रार्थीगण का निरन्तर आना जाना है, तथा बहुत पुराने मुकदमें भी न्यायालय में पेन्डिग में पडे हुये है, जिनका अभी तक निस्तारण नही हुआ है, इससे उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम व अप्रार्थीगण की मंशा साफ झलकती है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्यायालय से किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नही है। ऐसी सूरत में प्रार्थी/वादी को पूरा भय व आंशका है, कि अप्रार्थीगण राजनेतिक दबाव बनाकर मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी को न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे है। उक्त सूरत में न्यायहित में प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम की अदालत से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना अति आवश्यक है। दौराने मुकदमा मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त कर उनको आगामी कार्यवाही स्थगित रखने के लिये पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बअनुवान नन्दकिशोर बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन प्रकरण को दिगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा एक राजस्व वाद बउनवान नन्दकिशोर बनाम महावीर अप्रार्थीयान के विरूद्व पेश किया गया है, जिसमें एक पक्षीय बहस सुनी जाकर स्थगन आदेश प्रार्थी/वादी के पक्ष में जारी किया हुआ है, अप्रार्थी द्वारा जारी स्थगन आदेश को नियमानुसार बहस सुनी जाकर प्रकरण का विधिवत निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकरण को अनावश्यक विलमबित बनाये रखने का प्रयास कर रहा हे, प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश किया गया था, जो सारहीन होने के कारण खारिज किया गया। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करनी चालू किये जाने पर प्रार्थी द्वारा पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश कर दिया है। इससे स्पष्ट हे, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करना चाहता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 18.07.2022 के अनुसार आराजी खसरा न0 812/227 डोटेड लाईन के अनुसार मौके पर कोई रास्ता चालू नही है, खसरा न0 812/227 के पूर्व में सी.सी. रोड बना हुआ है। व खसरा न0 812/227 के पश्चिम कोने पर पी.डब्लू.डी. द्वारा पक्की सडक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

प्रार्थी वकील द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ पर तहत अदालत से जवाब चॉहा गया। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 1153 दिनाक 02.07.2024 के द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है, कि न्यायालय हाजा में बउनवान नन्दकिशोर बनाम महावीर विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार सुनवायी की जा रही है, प्रार्थी ने मनघडन्त व गलत तथ्य पेश कर प्रकरण अन्य अदालत में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है। फिर भी यदि वाद को सुनवाई के लिये अन्य सक्षम न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

न्यायालय जिला कलक्टर ... (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा (राज.)

मुन्तकिल ...

1- यह है कि प्रार्थी/वादी नें एक राजस्व वाद बअनुवान नन्दकिशोर वादी :- बनाम:-

हमने पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष वादी द्वारा एक राजस्व वाद बउनवान नन्दकिशोर बनाम महावीर अप्रार्थीयान के विरूद्व पेश किया गया है, जिसमें एक पक्षीय बहस सुनी जाकर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, अप्रार्थी द्वारा जारी स्थगन आदेश को नियमानुसार बहस सुनी जाकर प्रकरण का विधिवत निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकरण को अनावश्यक विलमबित बनाये रखने का प्रयास कर रहा हे, प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश किया गया था, जो सारहीन होने के कारण खारिज किया गया। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करनी चालू किये जाने पर प्रार्थी द्वारा पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश कर दिया है। इससे स्पष्ट हे, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करना चाहता है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में नियमित रूप से विधिवत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा की जा रही कार्यवाही पर भी आक्षेप अंकित किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, पीठासीन अधिकारी द्वारा उनवानी प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाए रखे जाने की नियत से प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)